Urgent
DPO (PE11)

पत्रांक–18/वि०–01–22/2024 (पार्ट–2)....421 (शि0)

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

निदेशक प्राथमिक शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी,
DBT, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)

पटना, दिनांक–21/07/2026

विषयः– **लाभुक आधारित योजनाओं हेतु राज्य के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों (मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय/अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित स्थापना अनुमति प्रस्वीकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय) में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का उपस्थिति से संबंधित आँकड़ों को ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर प्रविष्ट कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 के तहत शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की लाभुक योजनाओं की राशि के हस्तानांतरण हेतु ई–शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से 75% उपस्थिति से संबंधित आँकड़ा NIC, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर NIC, पटना के द्वारा PFMS प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए लाभुक योजना की राशि सीधे लाभुक के बैंक खाता में अंतरित (Direct Beneficiary Transfer) की जायेगी। इसके लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर 1 अप्रैल 2026 से 30 सितम्बर 2026 तक नामांकित छात्र–छात्राओं में से 75% अथवा उससे अधिक की उपस्थिति वाले छात्र–छात्राओं को Yes (Y) तथा 75% से कम उपस्थिति वाले छात्र–छात्राओं के सम्मुख No (N) अंकित करना है। 75% अथवा उससे अधिक की उपस्थिति वाले छात्र–छात्राओं को ही विभिन्न लाभुक आधारित योजनाओं का लाभ दिया जाना है। इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नवत हैः–

1. छात्र–छात्राओं की उपस्थिति से संबंधित आँकड़ों की प्रविष्टि ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर **दिनांक 22.09.2026** से प्रारंभ की जा सकेगी।
2. राज्य के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर अपने Login ID से विद्यालय में नामांकित छात्र–छात्राओं के नाम के सम्मुख उनकी 75% उपस्थिति के अनुसार Yes अथवा No अंकित करायेंगे। इस कार्य पर होने वाले व्यय की राशि का भुगतान विद्यालय को प्राप्त कम्पोजिट ग्रांट की राशि से किया जायेगा।
3. प्रविष्टि पूर्ण करने के उपरांत सभी विद्यालय ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर निम्नलिखित तीन चेक लिस्ट के बिन्दुओं पर अपनी सहमति प्रदान करेंगे :–

(क) विद्यालय के सभी छात्र–छात्राओं की इन्ट्री ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर की जा चुकी है।

Scanned with OKEN Scanner

(ख) विद्यालय के सभी छात्र–छात्राओं को उनकी 75% उपस्थिति के अनुसार इन्ट्री Yes अथवा No के रूप में अंकित कर दी गयी है।

(ग) विद्यालय के सभी छात्र–छात्राओं को उनके परिवार की 1.5 लाख रूपये कुल वार्षिक आय के अनुसार Yes अथवा No के रूप में चिन्हित कर दिया गया है।

4. उक्त चेक लिस्ट को भरने के उपरांत विद्यालय के प्रधानाध्यापक ई–शिक्षाकोष पोर्टल के स्क्रीन पर प्रदर्शित "Submit" बटन को Click कर देंगे एवं प्रविष्ट किये गये आँकड़ों का पोर्टल से प्रिन्ट आउट निकाल लेंगे।

5. तत्पश्चात् विद्यालय द्वारा प्रविष्ट आँकड़ें संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के Login में Verification हेतु प्रदर्शित हो जायेगा। प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के माध्यम से प्रविष्ट किये गये आँकड़ों को Verify किया जायेगा। Verification के उपरांत संतुष्ट होने पर विद्यालयवार आँकड़ों को "Verified" बटन Click कर संपुष्ट करेगें। आँकड़ों में किसी प्रकार त्रुटि पाये जाने की स्थिति में उचित अभियुक्ति के साथ "Reject" बटन Click करेंगे। Reject करने के उपरान्त विद्यालय के आँकड़े संबंधित प्रधानाध्यापक के ई–शिक्षाकोष Login पर सुधार के लिए पुनः प्रदर्शित हो जायेगा। साथ ही प्रधानाध्यापक को इस संबंध में जानकारी देने के लिए उनके पंजीकृत मोबाईल नं० पर एक मैसेज भी भेजा जायेगा। ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक को आँकड़ों में आवश्यक सुधार कर दोबारा Submit करना होगा।

6. प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आँकड़ों को "Verify" करने कि स्थिति में यह आँकड़े जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) के ई–शिक्षाकोष Login पर Final Approval के लिए विद्यालयवार प्रदर्शित होगा। विद्यालयवार आँकड़ों से संतुष्ट होने के उपरान्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) द्वारा "Approve" बटन को Click कर अनुमोदित किया जायेगा, जिसके बाद इन विद्यालयों के आँकड़े डी०बी०टी० के लिए Freeze हो जायेंगे। किसी प्रकार त्रुटि पाये जाने की स्थिति में उचित अभियुक्ति के साथ "Reject" बटन Click करेंगे। Reject करने के उपरान्त विद्यालय के आँकड़े संबंधित प्रधानाध्यापक के ई–शिक्षाकोष Login पर सुधार के लिए पुनः प्रदर्शित हो जायेगा। साथ ही प्रधानाध्यापक को इस संबंध में जानकारी देने के लिए उनके पंजीकृत मोबाईल नं० पर एक मैसेज भी भेजा जायेगा। ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक को आँकड़ों में आवश्यक सुधार कर पुनः Submit करना होगा।

7. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) द्वारा डी०बी०टी० हेतु Freeze किये गये आँकड़ों के आधार पर राज्य स्तर से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभुकों की राशि का हस्तांतरण सीधे उनके बैंक खाता में PFMS के माध्यम से किया जायेगा।

8. राशि अंतरण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि/अनियमितता के निवारण विभाग स्तर पर गठित Grievance Redressal System द्वारा किया जायेगा।

उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सम्पूर्ण DBT प्रक्रिया का सूक्ष्मतापूर्वक अनुश्रवण करेंगे, जबकि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

अतः अनुरोध है कि राज्य के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की उपस्थिति से संबंधित ऑकड़ों की प्रविष्टि ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर दिनांक 05.10.2026 तक करवाना सुनिश्चित करे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

निदेशक,प्राथमिक शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी,
DBT, शिक्षा विभाग, बिहार पटना।

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज।
(योजना एवं लेखा, प्रशाखा)

ज्ञापांक:...180.../यो0एवंले0/किशनगंज,दिनांक...22/09/2026

प्रतिलिपिः– जिले के सभी विद्यालय प्रधान/मदरसा प्रधान, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है दिनांक– 01.04.2026 से 30.09.2026 तक नामांकित छात्र–छात्राओं को ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर 75% उपस्थिति से अधिक वाले छात्र– छात्राओं को Yes तथा 75% से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं के सम्मुख No अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने स्तर से विद्यालय/मदरसा प्रधान से समन्वय स्थापित कर ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर छात्राअें के सम्मुख Yes तथा No अंकित करवाते हुए ई–शिक्षाकोष के Beo Login से Verification कराने के उपरांत डाटा को Approve तथा Reject करेंगे।

22/09/2026

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
किशनगंज।

22/09/2026

Scanned with OKEN Scanner